रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2009/श्रावण 8, 1931

No. 1192] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2009/SRAVANA 8, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2009

का.आ. 1865(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जुलाई, 2009 के 30वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (i) के खंड (क), धारा 13 की उप-धारा (i) के खंड (क) 15, 17, 18, 32 तथा 33 के उपबंध लागू होंगे :—

[पी-16011/7/2005-पी एच-I]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2009

S.O. 1865(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints 30th day of July 2009 as the date on which the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 12, clause (a) of sub-section (1) of section 13, 15, 17, 18, 32 and 33 of the said Act shall come into force.

[P-16011/7/2005-PH-I]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

2793 GI/2009